

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक जज (S.D.O.) मुकाम बाथल

आनुराग वर्मा बनाम पनाराम वर्मा

किस्म मुकदमा स. भावे 111.12B RLR act नं 37B सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.12.21	प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>नरपत पुनड एड</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111.12B RLR act</u> राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>03.01.22</u> को पेश हो।	
03/01/2022	<u>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/गो</u> <u>नोटिस तामील शुद्धा जवाब जिसे शामिल पत्रा-</u> <u>वली धारा जज। अतः पत्रावली दिनांक</u> <u>17/02/2022 को पेश हो।</u>	<u>सहायक जज (S.D.O.) बाथल</u>
17/02/2022	<u>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/गो</u> <u>जुड तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समग्र</u> <u>तीन बार नौवाज लगाई गई, अंतिम नौवाज</u> <u>5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थी/गो स्वयं मा</u> <u>उन्ही मोर ले कोई अधिकतर उपस्थित नहीं</u> <u>हुआ लिहाजा विप्रार्थी/गो के विरुद्ध एडलत</u> <u>दार्थवादी समल में लाई जाली है। अतः वास्त</u> <u>वगत पत्रावली दिनांक - 28/03/2022 को पेश हो।</u>	<u>सहायक जज (S.D.O.) बाथल</u>

सहायक जज (S.D.O.) बाथल


तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

28/03/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

न्यायालय
28/03/2022/2
प्रार्थी
आसुराम
जाति
पट्टक

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

मांक / वाद / 2022 / 277
प्रार्थी

बनाम

दिनांक:- 28/03/2022
विप्रार्थीगण

1. आसुराम पुत्र देवाराम वगैरा 27,
जाति मेघवाल, निवासी रामसरिया,
पटवार मण्डल बायतु भोपजी,
तहसील बायतु (बाड़मेर)


1. पनाराम पुत्र ताराराम वगैरा 19,
जाति मेघवाल, निवासी रामसरिया,
पटवार मण्डल बायतु भोपजी,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 378 / 2021

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - रामसरिया, पटवार मण्डल - बायतु भोपजी, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 405, 406 रकबा क्रमशः 0.2346, 22.1666 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर कर तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु

दिनांक:- 28/03/2022

कमांक / वाद / 2022 / 278 to 282
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का बायतु भोपजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री आसुराम पुत्र देवाराम वगैरा 27,
4. विप्रार्थी श्री पनाराम पुत्र ताराराम वगैरा 19,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु